



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 110 राँची, शुक्रवार,

24 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

2 फरवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-21/2022-18822 (HRMS)--श्री विनोद प्रजापति, झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी, नामकुम (तृतीय बैच, गृह जिला-रामगढ़), के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1616/रा०, दिनांक 17.05.2022 द्वारा उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1043/गो०, दिनांक 17.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए श्री विनोद प्रजापति, झा०प्र०से०, अंचल अधिकारी, नामकुम के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मी (श्री पिन्टु कच्छप) के साथ मारपीट के घटना के संदर्भ में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एवं निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3883, दिनांक 28.06.2022 द्वारा श्री प्रजापति से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री प्रजापति के पत्रांक-1409, दिनांक 18.07.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मुण्डा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4984, दिनांक 04.08.2022 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1470/म०को०, दिनांक-15.10.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रजापति के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य माना गया।

श्री प्रजापति के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण तथा इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री विनोद प्रजापति के विरुद्ध नगर निगम के सफाई कर्मी (पिंटू कच्छप) के साथ मार-पीट करने का आरोप प्रतिवेदित है, जिस पर उनके द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथ्यहीन है। उक्त सफाई कर्मी के साथ उनकी मात्र कहा-सुनी हुई है। उनके द्वारा किसी सरकारी पदाधिकारी की हैसियत से कोई अनुचित कार्य/व्यवहार नहीं किया गया है, बल्कि सफाई कर्मी को कर्तव्यों के सही ढंग से पालन करने का बोध कराया गया है। साथ ही, स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि उनके व्यवहार से किसी प्रकार का मानहानि एवं तकलीफ हुआ हो तो इसके लिए वे क्षमापार्थी हैं। उपायुक्त, राँची द्वारा मंतव्य में कहा गया है कि संबंधित मामले में नगर निगम, राँची के सफाई कर्मी (श्री पिंटू कच्छप) एवं श्री विनोद प्रजापति, झांप्र०से०, अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के बीच पूर्ण रूप से सौहार्द एवं समक्षौता, लिखित रूप से समर्पित किया गया है। श्री प्रजापति द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य स्वीकार योग्य है।

समीक्षोपरांत, उपायुक्त, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विनोद प्रजापति, झांप्र०से०, अंचल अधिकारी, नामकुम को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विनोद प्रजापति, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BINOD PRAJAPATI 110011165714	श्री विनोद प्रजापति, झांप्र०से०, अंचल अधिकारी, नामकुम को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
